

# कार्यालय जेल अधीक्षक जिला जेल गुना म0प्र0

क्रमांक/.५.१.३./निर्वाह/2026

गुना,दिनांक 12.05.2026

प्रति,

जेल अधीक्षक

सर्किल जेल शिवपुरी म0प्र0

विषय:- जिला जेल गुना की वित्तीय वर्ष 2026-27 तृतीय निविदा आमंत्रण की सूचना विज्ञप्ति प्रकाशित करवोन के संबंध में।

संदर्भ:- जेल मुख्यालय म0प्र0 भोपाल द्वारा जारी पत्र क्रमांक 6495/निर्वाह-शाखा/2026 भोपाल दिनांक 06.04.2026।

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में निवेदन है कि वित्त वर्ष 2026-27 में जिला जेल गुना म0प्र0 में परिरुद्ध बंदियों की भोजन,सब्जी,स्वास्थ्य तथा स्वच्छता एवं अन्य व्यवस्थाओं में लगने वाली सामग्री के क्रय किये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी प्रथम निविदा आमंत्रण स्वीकृति हेतु पत्र क्रमांक 206/निर्वाह-शाखा/2026 गुना दिनांक 28.02.2026 द्वारा प्रेषित किया गया था जिसे जेल मुख्यालय भोपाल द्वारा अमान्य किया जाकर पुनः निविदा कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 303/निर्वाह/2026 गुना दिनांक 08.04.2026 द्वारा द्वितीय निविदा प्रकाशन हेतु पत्र प्रेषित कर निविदा डालने की अंतिम तिथि दिनांक 08.05.2026 नियत की गयी थी। नियत तिथि तक किसी भी निविदाकार द्वारा निविदा नहीं डालने से आज दिनांक 12.05.2026 को निविदा निरस्त कर तृतीय निविदा कार्यक्रम तैयार कर निविदा डालने की अंतिम तिथि दिनांक 02.06.2026 नियत करते हुये आपकी ओर प्रकाशन हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः निवेदन है कि जिला जेल गुना की वित्त वर्ष 2026-27 तृतीय निविदा आमंत्रण की विज्ञप्ति जारी करने हेतु संचालक ,सूचना एवं प्रकाशन विभाग को पत्र जारी करने का कष्ट करें ताकि निविदा जारी की जाकर कार्यवाही समय पर संपादित की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

  
जेल अधीक्षक

जिला जेल गुना म0प्र0

प्र.क्रमांक/.५.१.५./निर्वाह/2026

गुना,दिनांक 12.05.2026

प्रतिलिपी:-

01. महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ ,म0प्र0, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

  
जेल अधीक्षक

जिला जेल गुना म0प्र0

# कार्यालय जेल अधीक्षक जिला जेल गुना म0प्र0

क्रमांक 03/निर्वाह/2026

गुना, दिनांक 12.05.2026

वार्षिक ई-निविदा तृतीय आमंत्रण सूचना वित्त वर्ष 2026-27

जेल मुख्यालय म0प्र0 भोपाल द्वारा जारी पत्र क्रमांक 109/निर्वाह-शाखा/2025, भोपाल, दिनांक 02.01.2025 एवं पत्र क्रमांक 27959/निर्वाह-शाखा/2025 भोपाल दिनांक 22.12.2025 के पालन में जेल अधीक्षक सर्किल जेल शिवपुरी द्वारा संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, भोपाल को जारी पत्र क्रमांक 3551/निर्वाह/2025 शिवपुरी दिनांक 29.12.2025 द्वारा सर्किल जेल शिवपुरी म0प्र0 के अंतर्गत आने वाली समस्त जेलों की संयुक्त निविदा प्रकाशन करने के पश्चात जिला जेल गुना द्वारा निविदा ऑनलाईन प्रकाशित की गयी थी तथा कार्यवाही पश्चात निविदा स्वीकृति हेतु जेल मुख्यालय भोपाल प्रेषित की गयी थी किन्तु जेल मुख्यालय के पत्र क्रमांक 6495/निर्वाह-शाखा/2026 भोपाल दिनांक 06/04/2026 द्वारा निविदा अमान्य कर पुनः निविदा जारी करने के आदेश के पालन में जिला जेल गुना में परिरुद्ध बंदियों के भोजन, सब्जी, दवाइयां, स्वच्छता एवं जेल में लगने वाली अन्य सामग्री की पूर्ति हेतु ऑनलाईन पद्धति ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदाएँ मध्य प्रदेश जेल आपूर्ति नियम 1968 एवं मध्य प्रदेश भण्डार क्रय एवं सेवा उर्पाजन नियम 2015 के प्रावधान अनुसार ऑनलाईन निविदा डाली जा रही है।


जिला जेल गुना हेतु जारी उक्त निविदा की सम्पूर्ण जानकारी बेबसाईट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। निविदा कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	समय/दिनांक	स्थान
01	निविदा फार्म क्रय करने की प्रारंभिक तिथि (निविदा फार्म का मूल्य 05 लाख रुपये की निविदा तक 500/- प्रति निविदा तथा 5 लाख रुपये से अधिक की निविदा हेतु 1,000/- प्रति निविदा फार्म ऑनलाईन लेखा शीर्ष 0056-जेलें-800-अन्य प्राप्ति में जमा होगा।)	दिनांक 16.05.2026 समय प्रातः 09.00 बजे से	निविदा की जानकारी बेबसाईट <a href="http://www.mptenders.gov.in">www.mptenders.gov.in</a> के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी।
02	प्री-बिड मीटिंग की तिथि	दिनांक 18.05.2026 समय दोपहर 12.00 बजे	कार्यालय जेल अधीक्षक, जिला जेल गुना म0प्र0
03	निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	दिनांक 02.06.2026 समय सांयकाल 05.30 बजे तक	निविदा की जानकारी बेबसाईट <a href="http://www.mptenders.gov.in">www.mptenders.gov.in</a>
04	नमूना जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 02.06.2026 समय सांयकाल 05.30 बजे तक	कार्यालय जेल अधीक्षक, जिला जेल गुना म0प्र0
05	नमूना गुणवत्ता परीक्षण एवं तकनीकी निविदा (आवश्यक दस्तावेज परीक्षण) खोलने की तिथि	दिनांक 04.06.2026 दोपहर 12.00 बजे	कार्यालय जेल अधीक्षक, जिला जेल गुना म0प्र0
06	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 04.06.2026 दोपहर 01.00 बजे	कार्यालय जेल अधीक्षक, जिला जेल गुना म0प्र0

जिला जेल गुना हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री का खण्डवार विवरण

क्र.	क्रय की जाने वाली सामग्री का विवरण	खण्ड	अनुमानित राशि	अमान्य राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा समयावधि
01	खाद्यान्न सामग्री	प्रथम	1,00,00,000/-	3,00,000/-	1,000/-	दिनांक 30.06.2027 अथवा अगले वर्ष का ठेका स्वीकृत होने तक जो भी प्रथम हो वैध रहेगा।
02	सब्जी एवं फल	द्वितीय	17,00,000/-	51,000/-	1,000/-	
03	दवाइयां	तृतीय	30,00,000/-	90,000/-	1,000/-	
04	स्वच्छता, विद्युत एवं अन्य सामग्री	चतुर्थ	15,00,000/-	45,000/-	1,000/-	

नोट:- ई-निविदा फार्म बेबसाईट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर ऑनलाईन सिस्टम पर क्रेडिट कार्ड या ऑनलाईन भुगतान कर ही क्रय किये जा सकेंगे। ई-निविदा या उससे संबंधित समस्त जानकारी उक्त बेबसाईट पर देखें। जिला जेल गुना की ई-निविदा संबंधी समस्त कार्यवाही जेल अधीक्षक, जिला जेल गुना द्वारा की जावेगी। निविदा में किया गया कोई भी संशोधन [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर ही किया जावेगा। प्रथक से कोई भी संशोधन समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।

  
जेल अधीक्षक

जिला जेल गुना म0प्र0

**वार्षिक ठेका वर्ष 2026-27 तृतीय आमंत्रण**

**प्रथम खण्ड खाद्यान्न सामग्री**

क्र.	सामग्री का नाम	मात्रा	किस्म	कैफियत
1)	गेहू मीडियम	900 कि.	औसत	साफ चुना हुआ (सॉर्टेड)
2)	चावल	300 कि.	औसत	साफ पैकिंग में
3)	अरहर दाल	50 कि.	औसत	साफ छिलका रहित
4)	मूंग दाल	50 कि.	औसत	साफ
5)	उडद दाल	35 कि.	औसत	साफ
6)	मसूर दाल खडी	20 कि.	औसत	साफ
7)	चना दाल	50 कि.	औसत	साफ
8)	सोयबीन तेल 15 किगा के टिन में	60 कि.	ब्राण्डेड	प्रथमतः शासकीय तथा अद्विशासकीय संस्थाओं से प्राप्त किया जावेगा। तेल के पीपू सील किये होंगे तथा मार्क का उल्लेख होगा। टिन पर कम्पनी की सील होना अनिवार्य है।
9)	मिर्च लाल पिंसी	600 किग्रा	ब्राण्डेड	खादी भण्डार से उपलब्ध न होने की दशा में क्रय किया जावेगा।
10)	हल्दी पिंसी	500 किग्रा	ब्राण्डेड	खादी भण्डार से उपलब्ध न होने की दशा में क्रय किया जावेगा।
11)	धनिया पिंसा	500 किग्रा	ब्राण्डेड	खादी भण्डार से उपलब्ध न होने की दशा में क्रय किया जावेगा।
12)	शक्कर दोनदार	60 कि.	मोटा दाना	उच्च गुणवत्ता
13)	गुड देसी	10 कि.	देसी	उच्च गुणवत्ता
14)	इमली	10 कि.	अच्छी किस्म	सूखी छिलका बीज रहित
15)	गरम मसाला पिंसा	500 किग्रा	ब्राण्डेड	ब्राण्डेड
16)	नमक आयोडीन युक्त	60 कि.	ब्राण्डेड	ब्राण्डेड
17)	देसी चना	30 कि.	अच्छी किस्म	उच्च गुणवत्ता
18)	वनस्पति घी	85 टिन	ब्राण्डेड	(15 किग्रा के टिन में) सील बंद टिन में क्रय किया जावेगा।
19)	चाय पत्ती	10 कि.	ब्राण्डेड	कम्पनी के पैकेट में प्राप्त की जावेगी।
20)	पोहा	30 कि.	अच्छी किस्म	उच्च गुणवत्ता
21)	दही	1500 किग्रा	ताजा	उच्च गुणवत्ता
22)	दूध	200 कि.	ताजा	शासकीय तथा अद्विशासकीय संस्थाओं से प्राप्त न होने की दशा में
23)	मूंगफली दाना	01 कि.	औसत किस्म	उच्च गुणवत्ता
24)	साबू दाना	01 कि.	औसत किस्म	उच्च गुणवत्ता
25)	नुक्ती बूंदी रायता हेतु	09 कि.	ताजा	उच्च गुणवत्ता
26)	संधा नमक	25 किलो	औसत किस्म	उच्च गुणवत्ता
27)	पिण्ड खजूर	50 किलो	औसत किस्म	उच्च गुणवत्ता
28)	बिस्किट	400 पैकेट	अच्छी किस्म	100 ग्राम के पैकेट में
29)	नमकीन (मिक्सचर)	20 कि.	ताजा	उच्च गुणवत्ता
30)	मक्का	26 कि.	अच्छी किस्म	उच्च गुणवत्ता
31)	मठा	10 कि.	ताजा	उच्च गुणवत्ता

  
जेल अधीक्षक

जिला जेल गुना म0प्र0



## तृतीय खण्ड तृतीय आमंत्रण

क्र.	दवाइयों का विवरण	मात्रा	किस्म	दवाइयों पर एम.आर.पी. से दी जाने वाली छूट का प्रतिशत	रिमार्क
01.	ब्राण्डेड दवाइयां	10,00,000/- एवं आवश्यकता अनुसार	ब्राण्डेड	एम.आर.पी. से कितने प्रतिशत कम	प्रदाय की जाने वाली दवाइयों की एक्सपायरी डेट कम से कम 01 वर्ष अवश्य होनी चाहिये।
02.	जेनेरिक दवाइयां	20,00,000/- एवं आवश्यकता अनुसार	जेनेरिक	एम.आर.पी. से कितने प्रतिशत कम	प्रदाय की जाने वाली दवाइयों की एक्सपायरी डेट कम से कम 01 वर्ष अवश्य होनी चाहिये।
03.	मेडीकल उपकरण	आवश्यकतानुसार	औसत किस्म	एम.आर.पी. से कितने प्रतिशत कम	-----
04.	विविध प्रकार की चिकित्सकीय जांचें	आवश्यकतानुसार	-----	एम.आर.पी. से कितने प्रतिशत कम	शासकीय अस्पताल/संस्थान में उपलब्ध नहीं

- उपरोक्तानुसार सामग्रियों की मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि की जा सकती है।
- जेल से मांग अनुसार दवाइयां उसी दिन प्रदाय करने की जवाबदेही निविदाकार की होगी। यदि बंदी जेल के बाहर उपचार हेतु किसी भी चिकित्सालय में भर्ती होता है तो उपचाररत बंदी की दवाइयां समय पर उपलब्ध कराना एवं आवश्यक जांचों का व्यय सफल निविदाकार द्वारा वहन किया जावेगा।

  
जेल अधीक्षक


जिला जेल गुना MOPRO

**चतुर्थ खण्ड स्वच्छता, विद्युत एवं अन्य आवश्यक सामग्री तृतीय आमंत्रण**

क्र.	सामग्री का नाम	मात्रा	किस्म	कैफियत
1.	पीली मिट्टी	10 कि.	अच्छी किस्म	उच्च गुणवत्ता
2.	चूना कलाई	30 कि.	अच्छी किस्म	उच्च गुणवत्ता
3.	लाल मिट्टी	05 कि.	अच्छी किस्म	उच्च गुणवत्ता
4.	झाड़ू खजूर	1500 नग	अच्छी किस्म	उच्च गुणवत्ता
5.	झाड़ू बांस	500 नग	अच्छी किस्म	उच्च गुणवत्ता
6.	सीक झाड़ू	1500 नग	अच्छी किस्म	उच्च गुणवत्ता
7.	स्वीपर झाड़ू	70 नग	अच्छी किस्म	नगर पालिका द्वारा उपयोग में ली जाने वाली झाड़ू
8.	मिट्टी के घड़े मीडियम	600 नग	अच्छी किस्म	15 लीटर क्षमता वाले
9.	मिट्टी के घड़े बड़े	600 नग	अच्छी किस्म	20 लीटर क्षमता वाले
10.	कपड़े धोने का पावडर	25 कि.	ब्राण्डेड कम्पनी	खादी भण्डार से उपलब्ध न होने की दशा में क्रय किया जावेगा।
11.	कपड़े धोने का साबुन	35 कि.	ब्राण्डेड कम्पनी (90 ग्राम के पैक में)	खादी भण्डार से उपलब्ध न होने की दशा में क्रय किया जावेगा।
12.	नहाने का साबुन	900 किलो	ब्राण्डेड कम्पनी (75 ग्राम के पैक में)	खादी भण्डार से उपलब्ध न होने की दशा में क्रय किया जावेगा।
13.	फिनायल	1500 लीटर	ब्राण्डेड कम्पनी	सर्किल जेल से प्राप्त न होने की स्थिति में क्रय की जावेगी।
14.	सिन्थेटिक इनेमल पेन्ट (विभिन्न रंग)	300 लीटर	अच्छी किस्म	ब्राण्डेड कम्पनी
15.	कोलगेट पेस्ट	200 किलो	(30 ग्राम के पैक में)	ब्राण्डेड कम्पनी
16.	टॉयलेट क्लीनर	1500 लीटर	अच्छी किस्म	ब्राण्डेड कम्पनी (एसिड रहित)
17.	ऑईल पेन्ट	100 लीटर	ब्राण्डेड आईएसआई मार्क	ब्राण्डेड कम्पनी
18.	ब्लीचिंग पावडर	100 किलो	अच्छी किस्म	ब्राण्डेड कम्पनी
19.	प्लास्टिक डिब्बा (01 लीटर क्षमता)	500 नग	अच्छी किस्म	ब्राण्डेड कम्पनी
20.	कंघा	100 नग	अच्छी किस्म	ब्राण्डेड कम्पनी
21.	नारियल तेल	05 कि.	ब्राण्डेड	ब्राण्डेड कम्पनी
22.	सरसों तेल	05 कि.	ब्राण्डेड	ब्राण्डेड कम्पनी
23.	ब्रश पुतार्ई	150 नग	अच्छी किस्म	ब्राण्डेड कम्पनी
24.	तारपीन ऑईल	50 लीटर	अच्छी किस्म	अच्छी किस्म
25.	फिनाईल गोली	20 किलो	अच्छी किस्म	अच्छी किस्म
26.	टंग क्लीनर	4000 नग	अच्छी किस्म	अच्छी किस्म
27.	शेविंग ब्लेड	10000 नग	ब्राण्डेड कम्पनी	ब्राण्डेड कम्पनी
28.	शेविंग क्रीम	100 किग्रा	ब्राण्डेड कम्पनी	ब्राण्डेड कम्पनी
29.	कैची	50 नग	ब्राण्डेड कम्पनी	ब्राण्डेड कम्पनी
30.	उस्तरे	50 नग	ब्राण्डेड कम्पनी	ब्राण्डेड कम्पनी
31.	दूध ब्रश	4000 नग	ब्राण्डेड कम्पनी	ब्राण्डेड कम्पनी
32.	प्लास्टिक बाल्टी 05 लीटर क्षमता वाली	500 नग	ब्राण्डेड कम्पनी	ब्राण्डेड कम्पनी
33.	प्लास्टिक बाल्टी 10 लीटर क्षमता वाली	500 नग	ब्राण्डेड कम्पनी	ब्राण्डेड कम्पनी
34.	प्लास्टिक बाल्टी 15 लीटर क्षमता वाली	300 नग	औसत किस्म	औसत किस्म
35.	लेट्रिन ब्रश	500 नग	ब्राण्डेड कम्पनी	ब्राण्डेड कम्पनी
36.	सेनेटरी नेपकिन	1200 नग	ब्राण्डेड कम्पनी	ब्राण्डेड कम्पनी
37.	साबुन दानी	100 नग	औसत किस्म	औसत किस्म
38.	हाथ धोने का साबुन	700 किलो	ब्राण्डेड	50 ग्राम के पैक में
39.	बिजली का तार 01 एम.एम. कॉपर	20 बन्डल	अच्छी किस्म	90 मीटर लम्बाई वाला बन्डल

			ब्राण्डेड कम्पनी	
40.	बिजली का तार 1.5 एम.एम. कॉपर	20 बन्डल	अच्छी किस्म ब्राण्डेड कम्पनी	90 मीटर लम्बाई वाला बन्डल
41.	बिजली का तार 2.5 एम.एम. कॉपर	20 बन्डल	अच्छी किस्म ब्राण्डेड कम्पनी	90 मीटर लम्बाई वाला बन्डल
42.	एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट 100 वॉट वाटर प्रूफ	20 नग	ब्राण्डेड कम्पनी	कम से कम 01 वर्ष वारन्टी के साथ
43.	एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट 50 वॉट वाटर प्रूफ	20 नग	ब्राण्डेड कम्पनी	कम से कम 01 वर्ष वारन्टी के साथ
44.	एल.ई.डी बल्ब 30 वॉट	100 नग	ब्राण्डेड कम्पनी	कम से कम 01 वर्ष वारन्टी के साथ
45.	एल.ई.डी बल्ब 20 वॉट	100 नग	ब्राण्डेड कम्पनी	कम से कम 01 वर्ष वारन्टी के साथ
46.	एल.ई.डी बल्ब 28 वॉट	30 नग	ब्राण्डेड कम्पनी	कम से कम 01 वर्ष वारन्टी के साथ
47.	लाईट फिटिंग पट्टी (केसिंग)	आवश्यकतानुसार	फुट में	ब्राण्डेड कम्पनी
48.	बल्ब होल्डर वॉल माउन्ट	300 नग	ब्राण्डेड कम्पनी	ब्राण्डेड कम्पनी
49.	पेंसिल सेल/टॉर्च सेल	200 नग	ब्राण्डेड कम्पनी	ब्राण्डेड कम्पनी
50.	डिस्टिल वॉटर बैटरी हेतु	500 लीटर	औसत कम्पनी	उच्च गुणवत्ता
51.	रेजर सेट यूज एन्ड थ्रो	1000 नग	ब्राण्डेड कम्पनी	ब्राण्डेड कम्पनी
52.	शेविंग क्रीम 30 ग्राम के पैक में	500 नग	ब्राण्डेड कम्पनी	ब्राण्डेड कम्पनी
53.	सीमेन्ट	500 बैग	आईएसआई ब्राण्ड	02 माह से पुराना नहीं होना चाहिये।
54.	भसुआ	3000 घनफुट	उच्च गुणवत्ता	100 घनफीट प्रति ट्राली
55.	बजरी	2000 घनफुट	उच्च गुणवत्ता	100 घनफीट प्रति ट्राली
56.	गिट्टी	2000 घनफुट	उच्च गुणवत्ता	100 घनफीट प्रति ट्राली
57.	सरिया	100 कि.	16,12,08 एम.एम. में	उच्च गुणवत्ता
58.	ईट	20000 नग	9x4x3 साईज में	उच्च गुणवत्ता
59.	टाईल्स	5500 वर्गफुट	2x2 साईज में	उच्च गुणवत्ता
60.	स्टील नल टॉटी	300 नग	ब्राण्डेड कम्पनी	ब्राण्डेड कम्पनी
61.	पी.वी.सी. पाईप आधा इन्च (10 फीट साईज में)	100 फीट	ब्राण्डेड कम्पनी	ब्राण्डेड कम्पनी
62.	पी.वी.सी. पाईप पोन इन्च (10 फीट साईज में)	100 फीट	ब्राण्डेड कम्पनी	ब्राण्डेड कम्पनी
63.	पी.वी.सी. एक पाईप एक इन्च (10 फीट साईज में)	100 फीट	ब्राण्डेड कम्पनी	ब्राण्डेड कम्पनी
64.	पी.वी.सी. पाईप दो इन्च (10 फीट साईज में)	100 फीट	ब्राण्डेड कम्पनी	ब्राण्डेड कम्पनी
65.	पी.वी.सी. पाईप तीन इन्च (10 फीट साईज में)	100 फीट	ब्राण्डेड कम्पनी	ब्राण्डेड कम्पनी
66.	तगाडी बडी	20 नग	उच्च गुणवत्ता	उच्च गुणवत्ता
67.	गेती मय दस्ता	10 नग	उच्च गुणवत्ता	उच्च गुणवत्ता
68.	फाबडा मय दस्ता	10 नग	उच्च गुणवत्ता	उच्च गुणवत्ता
69.	मिस्ट्री ग्ल्स	10 नग	उच्च गुणवत्ता	उच्च गुणवत्ता

70.	इन्वी टेप 05 मीटर	10 नग	उच्च गुणवत्ता	उच्च गुणवत्ता
71.	इन्वी टेप 100 मीटर	10 नग	उच्च गुणवत्ता	उच्च गुणवत्ता
72.	कन्नी छोटी बडी	20 नग	उच्च गुणवत्ता	उच्च गुणवत्ता

  
जेल अधीक्षक

जिला जेल गुना म0प्र0



जेल मुख्यालय  
भोपाल (म.प्र.)

क्रं. /निर्वाह शाखा/2026 भोपाल, दिनांक 2026

प्रति,

प्रभारी, जेल अधीक्षक,  
जिला जेल, देवास  
मध्य प्रदेश।

विषय: वार्षिक निविदा वर्ष 2026-27 में शपथ पत्र मान्य करने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदाय करने बावत।

संदर्भ: आपका का पत्र क्रमांक 376/स्थापना/2026 दिनांक 24.02.2026।

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है, कि जेल मुख्यालय की निविदा शर्त क्रमांक 8 के अनुसार निविदा में भाग लेने वाली फर्मों को शपथ पत्र अ एवं ब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में आपके द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया है, कि भारतीय स्टाम्प (मध्य प्रदेश संशोधन) अधिनियम 2014 की अनुसूची 01-क के अनुच्छेद क्रमांक 45 के अनुसार पब्लिक नोटरी के द्वारा 50 रु. के टिकट चस्पा कर, नोटरी की जाना थी। परंतु कुछ निविदाकारों द्वारा 50 रु. के स्थान पर 10 रु. का नोटरीकरण किया गया है। इस संबंध में कुछ निविदाकारों द्वारा आपत्ति ली गई है, कि यह सही नहीं है। निविदा को निरस्त किया जाये।

आपको निर्देशित किया जाता है, कि भारतीय स्टाम्प (मध्य प्रदेश संशोधन) अधिनियम 2014 की अनुसूची 01-क के अनुच्छेद क्रमांक 45 के अनुसार पब्लिक नोटरी पर 50 रु. का टिकट लगाना ही विधि अनुसार मान्य है। नियमानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।  
(महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं द्वारा अनुमोदित)

(मंशाराम पटेल)

जेल उप महानिरीक्षक  
म.प्र. भोपाल

प्रतिलिपि: 4915

पृ. क्रमांक

/निर्वाह शाखा/ 2026, भोपाल, दिनांक 27/ 2/2026

1. समस्त जेल अधीक्षक, मध्य प्रदेश को निर्देशित किया जाता है, कि भविष्य में शपथ पत्र एवं अनुबंध संबंधी कार्यवाही भारतीय स्टाम्प अधिनियम व उसमें समय-समय पर जारी किए गए संशोधन अनुसार की जाना सुनिश्चित करें।

(मंशाराम पटेल)

जेल उप महानिरीक्षक  
म.प्र. भोपाल





जेल मुख्यालय  
भोपाल (म.प्र.)

क्र. /निर्वाह शाखा/2026 भोपाल, दिनांक 2026

प्रति,

जेल अधीक्षक,  
केन्द्रीय जेल इंदौर  
मध्य प्रदेश।

विषय: वर्ष 2026-27 की वार्षिक निविदा में रुपये 200/- के स्टाम्प पर मार्गदर्शन दिये जाने के संबंध में।

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 135/ निर्वाह/2026 इंदौर दिनांक 13.02.2026।

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषय में संदर्भित लेख है, कि वर्ष 2026-27 की निविदा में शर्त क्र. 08 में शपथ पत्र अ एवं ब 200 रु. के स्टाम्प पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में आपके द्वारा मार्ग दर्शन चाहा गया है, कि केन्द्रीय जेल इंदौर की वार्षिक निविदा 2026-27 में कई निविदाकारों द्वारा 100 रु. के स्टाम्प पर 100 रु. का एड्रेसिव स्टॉम्प टिकिट लगाकर शपथ-पत्र प्रस्तुत किये हैं। जिसे 200 रु. का स्टाम्प पत्र माना जाए अथवा नहीं।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है, कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अध्याय 02 स्टाम्प शुल्क की धारा 10 के अनुसार एवं मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक 09.09.2025 द्वारा भारतीय स्टाम्प (मध्य प्रदेश संशोधन) अधिनियम 2025 की धारा 03 (1) के अनुसार 200 रु. के स्टाम्प के लिए 100 रु. के स्टाम्प पर 100 रु. का एड्रेसिव स्टाम्प टिकिट लगाना विधि अनुसार मान्य नहीं है।

(महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं द्वारा अनुमोदित)

(मंशाराम पटेल)

जेल उप महानिरीक्षक  
म.प्र. भोपाल

प्रतिलिपि:

पृ. क्रमांक 4832 /निर्वाह शाखा/ 2026, भोपाल, दिनांक 20/02/2026

1. समस्त जेल अधीक्षक, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मंशाराम पटेल)

जेल उप महानिरीक्षक  
म.प्र. भोपाल





## जेल मुख्यालय

भोपाल(म.प्र.)

क्रमांक 27959 / निर्वाह शाखा / 2025 भोपाल, दिनांक 22/12/2025  
प्रति,

समस्त  
सर्किल जेल अधीक्षक,  
मध्यप्रदेश।

विषय :- वार्षिक निविदा वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव भेजने बाबत।  
सन्दर्भ :- जेल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 2956/निर्वाह शाखा/दिनांक 24.01.2023, पत्र क्रमांक 7944/निर्वाह शाखा/दिनांक 10.04.2023 एवं पत्र क्रमांक 109/निर्वाह शाखा/दिनांक 02.01.2025.

-0-

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्रों के तारतम्य में लेख है कि मध्यप्रदेश की जेलों में बंदियों के भोजन हेतु लगने वाली खाद्यान्न सामग्री, सब्जी/फल, दवाईयों एवं अन्य सामग्री की वार्षिक निविदा वर्ष 2026-27 की कार्रवाई पूर्व वर्ष की भांति की जाये।

वर्ष 2025-26 के निविदा प्रस्तावों में प्रायः यह देखने में आया है कि कई जेल अधीक्षकों द्वारा निविदा की कार्यवाही में सूक्ष्मता से दस्तावेजों का परीक्षण नहीं किया जाता है। और अपात्र निविदाकारों को भी निविदा में शामिल कर लिया जाता है। जिससे जेल मुख्यालय में अनावश्यक शिकायतें प्राप्त होती हैं एवं शिकायत सही पाए जाने पर निविदाएं भी निरस्त करनी पड़ती हैं। जिसके कारण निविदा स्वीकृत करने में अनावश्यक विलम्ब होता है एवं शासन को भी वित्तीय हानि होती है। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. कई जेलों द्वारा नगर पालिका निगम का व्यवसाय लाईसेंस एवं खाद्य संरक्षा का लाईसेंस की वैधता तिथि समाप्त होने के बाद भी निविदाकारों को निविदा में शामिल कर लिया जाता है एवं उनके प्रस्ताव स्वीकृति के लिए जेल मुख्यालय भेज दिए जाते हैं, जो कि सही नहीं है। दस्तावेजों की तिथि की वैधता का परीक्षण सूक्ष्मता से करें।
2. कुछ फर्मों द्वारा निविदा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने से पिछले 03 माह का जी.एस.टी. रिटर्न प्रस्तुत न करते हुए, इसके पूर्व माह के जी.एस.टी. रिटर्न प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि सही नहीं है।
3. कुछ जेलों द्वारा ई-स्टेटमेंट के आधार पर तुलनात्मक पत्रक पृथक से तैयार नहीं किया जाता है। ई-स्टेटमेंट की तालिका को ही तुलनात्मक पत्रक के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है, जबकि तुलनात्मक पत्रक पृथक से बनाया जाना चाहिए।

1/2/1

//2//

4. दवाईयों की ई-स्टेटमेंट में छूट के प्रतिशत के स्थान पर राशि अंकित की जाती है। जिसके कारण निविदाकारों द्वारा कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है, स्पष्ट नहीं होता है। दवाईयों की छूट पर स्पष्ट प्रतिशत का उल्लेख करें।
  5. ई-स्टेटमेंट में एल-1 के स्थान पर एच-1 दर्शित किया जाता है एवं दर तथा कीमत दोनों के कॉलम में कीमत अंकित की जाती है। साथ ही यदि कोई फर्म द्वारा किसी सामग्री के लिए दरें नहीं डाली जाती हैं तो उसके लिए Not quoted के विकल्प का प्रयोग किया जाना उचित होगा न कि 0 शून्य डालना जिससे एल-1 प्रभावित होती है। इस हेतु निविदाकारों को समुचित जानकारी दी जावे।
  6. जेल अधीक्षक समय पर तहसील दरें प्राप्त करने का प्रयास करें जिससे निविदाएं जेल मुख्यालय भेजने में अनावश्यक विलम्ब न हो एवं निर्धारित तिथि पर निविदाएं जेल मुख्यालय को भेजें।
  7. कई फर्मों द्वारा नगर पालिका निगम से व्यवसाय लाईसेंस प्राप्त नहीं होने पर स्पष्ट एवं अधतन अनापत्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के उपरांत भी जेलों द्वारा उन्हें निविदा में सम्मिलित कर लिया जाता है, जो कि सही नहीं है। निविदा में भाग लेने वाली फर्मों को स्पष्ट एवं अधतन अनापत्ति पत्र ऑनलाईन अपलोड करने की जानकारी दी जाये।
  8. जेल मुख्यालय की निविदा शर्त क्रमांक 08 में शपथ पत्र-‘अ’ एवं ‘ब’ प्रस्तुत करने का प्रावधान है, किन्तु कुछ निविदाकारों द्वारा पूर्ण शपथ-पत्र प्रस्तुत न कर, केवल प्रथम पृष्ठ की ही प्रति प्रस्तुत की जाती है। जिससे शपथ-पत्र नोटरीकृत है अथवा नहीं स्पष्ट नहीं होता है। इसी प्रकार कुछ निविदाकारों द्वारा निविदा प्रकाशन तिथि के पूर्व वर्ष के तैयार शपथ-पत्र लगाए जाते हैं, जो सही नहीं है। इस हेतु निविदाकार को निविदा प्रकाशन तिथि के उपरांत के पूर्ण शपथ-पत्र अ एवं ब प्रस्तुत करने की जानकारी दी जाये।
- मध्यप्रदेश भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022), जेल मुख्यालय के पत्र क्रमांक 19991/निर्वाह शाखा/दिनांक 15.12.2023 एवं जेल मुख्यालय के पत्र क्रमांक 109/निर्वाह शाखा/दिनांक 02.01.2025 एवं पत्र क्रमांक 775/निर्वाह शाखा/दिनांक 13.01.2025 में दिए गए निर्देशानुसार सर्किल जेल एवं अधीनस्थ आने वाली जिला/सब जेलों के लिये वित्तीय वर्ष 2026-27 की निविदा सूचना का प्रकाशन 15 जनवरी, 2026 तक अनिवार्य रूप से करके खाद्यान्न, सब्जी/फल एवं दवाईयों के निविदा प्रस्ताव स्वीकृति के लिए दिनांक 20 फरवरी, 2026 तक जेल मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।  
(महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं द्वारा आदेशित)

9/1/25  
जेल उप महानिरीक्षक  
मध्यप्रदेश, भोपाल.



**:: निविदा की शर्तें ::**

1. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए खाद्यान्न, सब्जियों, दवाईयों, स्वच्छता/विद्युत सामग्री एवं अन्य सामग्री के क्रय की कार्यवाही मध्यप्रदेश जेल पूर्ति नियम, 1968 एवं मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) के अंतर्गत ई-टेंडरिंग के माध्यम से अर्थात् ऑनलाईन की जाएगी।
2. निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी वेबसाइट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर उपलब्ध है। निविदा शुल्क ठेके की लागत 5 लाख तक रु. 500 एवं 5 लाख से अधिक रु. 1000, प्रति निविदा फार्म ऑनलाईन लेखा शीर्ष 0056-जेलें-800 अन्य प्राप्ति में करना होगा।
3. निविदाएं खंडवार पृथक-पृथक ऑनलाइन जमा की जाएंगी। निविदा में 3 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति की राशि खंडानुसार [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर ऑनलाईन स्वीकार की जाएगी। 3 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति (earnest Money Deposit) की राशि का विवरण निम्नानुसार है :

क्रमांक	खण्ड का नाम	कुल लागत	3 प्रतिशत प्रतिभूति की राशि
01	खाद्यान्न		
02	सब्जियां		
03	दवाईयां, चिकित्सा उपकरण, लैब सामग्री एवं चिकित्सीय जांच		
04	स्वच्छता/विद्युत सामग्री		
05.	अन्य सामग्री		

4. वार्षिक ई-निविदा में दर्शायी गयी वस्तुओं के भाव अधिकतम 30.06.2027 अथवा अगले वर्ष का ठेका स्वीकृत होने तक, जो भी प्रथम हो, वैध रहेंगे।
5. खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता औसत स्तर की होनी चाहिए। प्रत्येक निविदाकार को सामग्री की दरें ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होंगी। निविदा में जो दरें प्रस्तुत की जाएं वे समस्त करों सहित होनी चाहिए। पृथक से कोई कर देय नहीं होगा।
6. उन्हीं निविदाकारों की निविदा स्वीकृत होगी, जो वस्तु एवं सेवाकर (GST) के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्यापारी होंगे। प्रत्येक निविदाकार को निविदा के साथ निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पिछले तीन माह का जी.एस.टी. रिटर्न अथवा पिछली तिमाही (Quarter) का जीएसटी रिटर्न प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. निविदाएं संबंधित जेल कार्यालय में उपस्थित निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों एवं क्रय समिति की उपस्थिति में निर्धारित तिथि को नियत समय पर खोली जाएंगी। तिथि परिवर्तन की सूचना [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर अपलोड कर एवं जेल के सूचना पटल पर लिखित में चस्पा कर दी जाएगी एवं निविदाकारों को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा।
8. प्रत्येक निविदाकार द्वारा निविदा के साथ आवश्यक रूप से कारागार अधिनियम, 1894 की धारा-10 एवं जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक 05/वारंट-3 /भोपाल, दिनांक 28.01.2015 के प्रावधान के अनुसार क्रमशः प्रपत्र-(अ) एवं (ब) में पृथक-पृथक 50-50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पर मूल प्रति में नोटरी द्वारा प्रमाणित कर शपथ पत्र भी आवश्यक रूप से बनाये व इसको ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करें। शपथ पत्र के अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी।

प्रत्येक जेल की निविदा के लिए पृथक-पृथक शपथ पत्र बनाया जाए।  
शपथ पत्रों का प्रारूप निम्नानुसार है :-

**शपथ पत्र-अ**

(कारागार अधिनियम-1894 की धारा 10 के प्रावधान के अनुरूप)

मैं.....जो केन्द्रीय/जिला/सब जेल.....के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म.....की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म.....के मालिक/भागीदार अथवा कोई निकट परिजन मध्यप्रदेश जेल विभाग में किसी भी स्थान पर, किसी भी पद पर नियोजित नहीं हैं।

**हस्ताक्षर शपथकर्ता**

**शपथ पत्र-ब**

(जेल मुख्यालय का परिपत्र क्रमांक 05/वारंट-3 बंदी मृत्यु/2015/भोपाल दिनांक 28.01.2015)  
मैं.....जो केन्द्रीय/जिला/सब जेल.....के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म.....की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म.....के मालिक/भागीदार किसी भी आपराधिक प्रकरण में जेल से जमानत पर रिहा नहीं है।

**हस्ताक्षर शपथकर्ता**

9. तहसील या मंडी या खादयान्न क्रय समिति की दरें निविदा खोलने की दिनांक के पूर्व प्राप्त न होने की स्थिति में, क्रय समिति के विवेक पर एक सप्ताह में प्राप्त करने की शर्त पर, निविदा खोलने की तिथि बढ़ाई जा सकेगी।
10. निविदा में निविदाकारों द्वारा निम्नानुसार स्वयं हस्ताक्षरित एवं फर्म की सील सहित दस्तावेज ऑनलाईन पोर्टल [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर अपलोड कराए जाएंगे। तकनीकी बिड खुलने के पश्चात् ऑनलाईन अपलोड दस्तावेजों का क्रय समिति द्वारा परीक्षण कर, हस्ताक्षर किए जावेंगे। अपठनीय, अस्पष्ट एवं संदेहास्पद दस्तावेज की मूलप्रति मंगाकर जेल अधीक्षक तस्दीक करेंगे। निविदाकार द्वारा मूल प्रतियां प्रस्तुत न करने की दशा में उसकी 03 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति की राशि (E.M.D.) राजसात कर ली जाएगी। तकनीकी बिड में पात्र निविदाकर्ता के ही वित्तीय प्रस्ताव (Financial bid) खोले जायेंगे :-
  - I. आधार कार्ड एवं पैन कार्ड
  - II. मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अधीन पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र
  - III. जी.एस.टी. पंजीयन एवं निविदा विज्ञापित प्रकाशित होने की तिथि से पिछले तीन माह का जी.एस.टी रिटर्न अथवा पिछली तिमाही (quarter) का जी.एस.टी. रिटर्न
  - IV. विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र।
  - V. शपथ पत्र "अ" एवं "ब"।
  - VI. अनाज एवं सब्जी विक्रय हेतु कृषि उपज मंडी समिति का वैध लायसेंस।

- VII. खाद्य वस्तुओं/दवाईयों के लिए खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन रजिस्ट्रेशन अथवा वैध अनुज्ञप्ति (लायसेंस)।
- VIII. वस्तुओं के व्यापार संबंधी नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद का वैध लायसेंस। इन संस्थाओं द्वारा वैध लायसेंस जारी न करने की दशा में उनका स्पष्ट पत्र।
- IX. दवाईयों की निविदा हेतु वैध ड्रग लायसेंस।
- X. निविदा में उल्लेखित सामग्रियों के अपेक्षित नमूनों से संबंधित-पत्र।
- XI. वस्तुओं के ब्राण्ड से संबंधित-पत्र।
- XII. निविदाकार फर्म का नाम किसी भी विभाग में काली सूची (Blacklist) में नहीं होने का घोषणा-पत्र।
- 11 निविदा के साथ संलग्न किये गए दस्तावेजों का उनके जारीकर्ता विभाग से सत्यापन कराया जा सकता है। सत्यापन के दौरान यदि दस्तावेज फर्जी अथवा गलत पाये जाते हैं, तो संबंधित व्यापारी का ठेका निरस्त कर, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
- 12 निविदा में उल्लेखित खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री के अपेक्षित नमूने निविदाकार को नियत तिथि एवं निर्धारित समय तक प्रस्तुत करने होंगे। निविदाकार जिन सामग्रियों के लिये निविदा प्रस्तुत कर रहे हैं, उन सामग्रियों के ब्राण्ड तथा मेक का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। नमूने प्राप्त न होने अथवा सामग्री के नाम के साथ ब्राण्ड के नामों का उल्लेख न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। नमूने 500-500 ग्राम के पारदर्शी डब्बों में समान गुणवत्ता वाले दो-दो पैक में फर्म का नाम लिखकर, नमूनों को पूर्णतः सीलबंद कर, स्वहस्ताक्षरित फर्म की सील लगाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 13 नमूने का परीक्षण उपस्थित निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों तथा संबंधित जेल की क्रय समिति की उपस्थिति में किया जाएगा। जेल क्रय समिति द्वारा स्वीकृत नमूनों पर हस्ताक्षर कर, सील बंद डिब्बे में रखे जायेंगे। निविदाकारों द्वारा प्रदाय वस्तुएं साफ सुथरी होंगी और नमूनों से मिलाई जाएंगी, व्यापारियों द्वारा प्रदाय माल का मिलान नमूने के मुताबिक होने या न होने की घोषणा जेल अधीक्षक द्वारा की जाएगी, जो मान्य होगी।
- 14 निविदा में दर्शाई गई सामग्री की मात्रा अनुमानित है। आवश्यकता पड़ने पर सामग्री की मात्रा कम या अधिक की जा सकती है। सफल निविदाकर्ता को निर्धारित अवधि में सामग्री का प्रदाय स्वीकृत ट्रेडमार्क या नमूने के अनुरूप करना होगा। कोई भी सामग्री उपरोक्तानुसार न होने पर स्वीकार नहीं की जाएगी। अस्वीकृत माल ठेकेदार को अपने व्यय से तुरंत वापस ले जाकर, नमूने अनुसार माल प्रदाय करना होगा। प्रदाय न करने पर खुले बाजार से माल क्रय किया जाकर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली संबंधित ठेकेदार से की जाएगी। यह वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में या उसकी जमा निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) राशि में से की जा सकेगी, साथ ही उसे भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड करने हेतु कार्यवाई की जाएगी।

- 15 सब्जियां साफ एवं ताजी प्रदाय करनी होंगी, जो प्रातः 7.00 बजे से 9.00 बजे तक अनिवार्य रूप से जेल गेट तक पहुंचानी होंगी। निर्धारित समय तक सब्जियां प्राप्त न होने पर बंदियों की भोजन-व्यवस्था बनाये रखने के लिये खुले बाजार से क्रय की जाएंगी, जिस पर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली ठेकेदार को देय किसी भी रकम से की जा सकेगी। ठेकेदार द्वारा विलंब से भेजी गई सब्जियां वापस कर दी जाएंगी, जिसके लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे। जेल बगीचे से सब्जियां उपलब्ध न होने की दशा में ही ठेकेदार से क्रय की जाएंगी।
- 16 दवाईयां एवं चिकित्सीय सामग्रियों की निविदा हेतु निविदाकार को वैध ड्रग लायसेंस अपलोड करना आवश्यक है। जिन दवाओं में एक्सपायरी डेट निर्माता कंपनी द्वारा एक वर्ष से अधिक की नियत की गई हो, ऐसी दवाईयों की प्रदायगी में सामान्यतः एक्सपायरी डेट कम से कम एक वर्ष शेष होना आवश्यक है। दवाईयां एवं अन्य चिकित्सीय सामग्री ठेके में, एम.आर.पी. से अधिकतम डिस्काउंट देने वाले निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जाएगी। निविदाकारों को अस्पताल में भर्ती बंदियों तथा जेल में गंभीर रूप से बीमार बंदियों हेतु मांग किये जाने पर तत्काल दवाईयों की पूर्ति करनी होगी।
- 17 निविदा में उल्लेखित सभी वस्तुएं शासकीय/अर्धशासकीय/शासन द्वारा अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रदाय न करने की स्थिति में ही, स्वीकृत निविदाकारों से क्रय की जाएगी।
- 18 जिस निविदाकार की निविदा जेल क्रय समिति द्वारा स्वीकार करने की अनुशंसा की गई हो, उसे 10 दिवस के अंदर पंजीयन एवं स्टॉप (वाणिज्यिक कर) विभाग मध्य प्रदेश के निर्धारित स्टॉप शुल्क अनुसार नॉन ज्युडिशियल स्टॉप पर करारनामा भरना होगा, जिसकी प्रति संबंधित जेल के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- 19 सशर्त निविदा मान्य नहीं की जाएगी। ठेके की शर्तों के क्रियान्वयन के लिये सफल निविदाकर्ता, निविदा में लेख रकम के बराबर का शोध क्षमता प्रमाण-पत्र या उसके बदले में निविदा की रकम के 03 प्रतिशत तक निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) डिमांड ड्राफ्ट/मियादी जमा रसीद/बैंकर्स चैक/ बैंक गारंटी/ Irrevocable के रूप में देगा, बैंक गारंटी का सत्यापन संबंधित बैंक से कराया जाएगा। प्रतिभूति की राशि जेल अधीक्षक के नाम से देय होगी। 03 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति राशि निविदा स्वीकृत होने के 10 दिवस के अंदर जमा करनी होगी।
- 20 निविदा महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरांत ही मान्य होगी। निविदा खुलने के बाद, यदि न्यूनतम दर वाली निविदाकर्ता (L1) निविदा वापस लेते हुये करारनामा भरने एवं निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) जमा करने से इंकार करता है, तो उसका टेंडर निरस्त करते हुये उसके द्वारा जमा की गई 3 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति (Earnest Money Deposit) की राशि जप्त कर ली जाएगी और संबंधित खंड/सामग्री की निविदा पुनः आमंत्रित की जाएगी।

- 21 सफल निविदाकर्ता को समस्त पूर्तियां समझौते के अनुसार किशतों में आवश्यकतानुसार दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक इन्डेंट के आधार पर संबंधित जेल के गेट पर करनी होंगी। इसके लिये कोई अतिरिक्त भाड़ा देय नहीं होगा। इन्डेंट प्राप्त करने की जवाबदारी निविदाकार की होगी।
- 22 प्रत्येक निविदाकार को पत्राचार करने के लिए अपने अधिकृत मोबाइल नम्बर/Whatsapp Number/Email ID देना अनिवार्य होगा। जिन निविदाकारों ने निविदा प्रस्तुत करते समय फर्म के प्रिंटेड लेटर पेड पर मोबाइल नम्बर/Whatsapp Number/Email ID में से कोई एक भी अंकित किया है, तो उसे भी मान्य किया जावेगा। उक्त अधिकृत माध्यमों पर दी गई सूचना सभी प्रयोजनों के लिए मान्य होगी।
- 23 देयकों का भुगतान संबंधित जेल द्वारा ई-पेमेंट के माध्यम से किया जाएगा। सामग्री के भुगतान के समय नियमानुसार जो भी कर काटने योग्य होगा, काटा जाएगा। विशेष परिस्थिति में भुगतान हेतु डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक पर बैंक का कमीशन भी व्यापारी से काटा जाएगा। देयकों के भुगतान में विलंब होने के कारण वस्तुओं का प्रदाय रोकने का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा।
- 24 महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश को संबंधित जेल की क्रय समिति द्वारा अस्थाई रूप से स्वीकार की गई निविदा की पुष्टि करने या अभिलिखित कारणों के आधार पर उसे अंशतः स्वीकृत या नामजूर करने का अधिकार है।
- 25 निविदा तथा करारनामों के अनुसार पूर्ति के संबंध में सभी विवाद संबंधित जेल के जिले में स्थित सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

  
**जेल अधीक्षक**  
जिला जेल गुना ( म.प्र. )